संख्या-39/2019/610/बावन-1-2019-अधि0(बजट)/19

प्रेषक,

हरी राम,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 24 जून, 2019

विषय-वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में 04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय के अधिष्ठान के मानक मद-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-763/अ0सं0क0नि0-52/लेखा/बजट-प्रावि/2019-20, दिनांक 06.06.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें ।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में मण्डलीय तथा जिला कार्यालय हेतु अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-001-04 के अन्तर्गत मानक मद-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय) में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 78.96 लाख के सापेक्ष प्रथम 06 माह हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 39.48 लाख पूर्व में शासनादेश संख्या-20/2019/536/बावन-1-2019-अधि0(बजट)/19 दिनांक 09.05.2019 द्वारा निर्गत कर दी गयी है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त लेखा शीर्षक-2070-001-04 के अन्तर्गत मानक मद-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय) में प्राविधानित कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम 06 माह हेतु स्वीकृत धनराशि पूर्व में निर्गत हो जाने के उपरान्त प्रश्नगत मद की अवशेष धनराशि रू0 39.48 लाख (रूपये उन्तालिस लाख अड़तालिस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-
001-निदेशन तथा प्रशासन-
04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय–

क्र0 सं0	**मद का नाम**	**वर्ष 2019-20 का बजट प्राविधान**	**वर्ष 2019-20 के लिये प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 06 माह हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)**	**वर्ष 2019-20 के लिये अवशेष स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	78.96	39.48	39.48
	योग	78.96	39.48	**39.48**

http://shrdsanadesh.up.gov.in

1- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा।

3- किसी भी दशा में उक्त धनराशि किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा। उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है । जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

4- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(हरी राम)
उप सचिव।

संख्या-610(1)/बावन-1-2019, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- वित्त(ई-11) अनुभाग /वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in